न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 24/2021 बउनवानी डॉ0 भूपेन्द्र सिंह यादव बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार प्र.अ. चु
पुत्र स्व. श्री शेर सिंह यादव, नि0 34 अल्कापुरी–ए, मुरलीपुरा जयपुर–302039, /संस्थापन/भू.अनुभाग कार्यालय

GCMS No-2021/63

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज

22.6.2021

लोक डाउन के कारण पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार/प्र.अ. चुनाव/संस्थापन/भू0अभिलेख अनुभाग की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत लोक सूचना अधिकारी एवं एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत दिनांक 27.01.2021 को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जो अति0 जिला कलेक्टर स0मा0 के पत्रांक एफ.2(23)सूकाअ/2021/309 दिनांक 5.2.2021 को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार/प्र.अ. चुनाव/संस्थापन/भू0अभिलेख अनुभाग को अन्तरित्त कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया:–

1. यह है कि जिला कलेक्टर निर्वाचन के पत्रांक निर्वाचन/परास/शिकायत/2020/ 746 दिनांक 5.1.2021 की प्रमाणित प्रति मय इस संबंध में प्राप्त पालना रिपोर्ट की प्रति मय परिवाद व संलग्नक की प्रमाणित प्रति।
2. यह है कि माननीय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के कार्यालय पत्रांक बाबत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 19.1.2021 की पालना में तरमीम बाबत जो जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को प्रेषित शुद्वा की प्र0प्रति मय उक्त पत्र की पालना में की कार्यवाही व निर्णय की प्रति।
3. यह है कि मा0 राजस्व मण्डल अजमेंर के कार्यालय पत्रांक प.11/शिकायत/राम/भरतपुर सम्भाग/2020/2600 दिनांक 20.10.2020 पर जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा की गयी कार्यवाही एवं निर्णय/जॉच की प्र0प्रति एवं समसंख्यक पत्रांक राजस्व मण्डल/राम/2020/1692 दिनांक 9.7.2020 पर मा0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा की गयी कार्यवाही, निर्णय, जॉच रिपोर्ट की प्र.प्रति मय समसंख्यक पत्रांक भू.अभि. /2020/564–65 दिनांक 26.11.2020 द्वारा सम्भागीय आयुक्त भरतपुर पर मा0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा की गयी कार्यवाही निर्णय,जॉच रिपोर्ट की प्र0प्रति।
4. यह है कि मा0 राजस्व मण्डल अजमेंर के पत्रांक प.11/शिकायत/राम/भरतपुर सम्भाग/2020/2421 दिनांक 7.10.2020 पर जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा की गयी कार्यवाही जॉच रिपोर्ट,निर्णय,पत्राचार बाबत प्राप्ति परिवाद बाबत की गयी कार्यवाही (पत्राचार की प्र0प्रति मय संलग्नक पत्रांक राजस्व मण्डल प.11(14)विविध/शिका/राम/भरतपुर सम्भाग/2020/2682–83 दिनांक 26.10.2020 पर उपरोक्तानुसार की गयी कार्यवाही की प्र0प्रति।
5. यह है कि मा0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर मुद्रांक के कार्य पत्रांक दिनांक 7.1.2021 तहसीलदार खण्डार को प्रेषित शुद्वा बाबत जसोदा जाट द्वारा केलाश गुर्जर ग्राम दौलतपुरा को करवायी गयी रजिस्ट्री की गिरदावर पटवारी की जॉच रिपोर्ट मय तहसीलदार खण्डार की कार्यवाही रिपोर्ट की प्र0 प्रति मय रेफरेन्स पत्र यदि कोई हो तो की प्र0प्रति।
6. यह है कि तहसीलदार खण्डार द्वारा ग्राम दौलतपुरा तहसील खण्डार के गैर मुमकिन तालाब ख0न0 172 एवं गै0मु0 तलाई 719/503 एवं 800/503 मे रबी खरीफ फसल की मांगीलाल/लड्डू जाट रामचरण लड्डू गुर्जर, गै0मु0 रास्ता 170 एवं 108 ख0न0 बाबत शमशान की जमीन पर किये अतिक्रमण के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट मय कार्यवाही निर्णय, आदेशिका गिरफ्तारी वारण्ट की प्र0प्रति।
7. (i)यह है कि ग्राम कटार गिरदावरी फरिया बाबत ख0न0 336 मे रामचरण गुर्जर निवासी दौलतपुरा द्वारा सिवायचक जमीन पर अतिक्रमण बाबत की गयी 91 एलआरएक्ट की गयी कार्यवाही बाबत [illegible] वि.स. 2076–77 की प्रमाणित प्रति।
   (ii) यह है कि ग्रामवासी दौलतपु[illegible]0 जिला कलेक्टर स0मा0 को भूमाफिया अजीत शेखावत के विरूद्व [illegible] 17.12.2020 एवं उस पर की गयी कार्यवाही मय जॉच [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:36:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार/प्र.अ. चुनाव/संस्थापन/भू0अभिलेख अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार/प्र.अ. चुनाव/संस्थापन/भू0अभिलेख अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार/प्र.अ.चुनाव/संस्थापन/भू0 अभिलेख अनुभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना के संबंध में तहसीलदार खण्डार द्वारा जरिये जवाब नोटिस अवगत कराया है कि प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 7(1) मे चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार खण्डार के न्यायालय मे संघारित नही होने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नही होने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध में जरिये पत्रांक रीडर/21/527 दिनांक 16.2.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या 5,6, 7(II) पर चाही गयी सूचना के लिए अपीलान्ट द्वारा 70/–रू का भा.पो. दिनांक 2.3.2021 को कार्यालय मे प्रेषित किये जाने पर जरिये पत्रांक रीडर/21/942 दिनांक 2.3.2021 से 34 पृष्ठों की सूचना अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। प्रभारी अधिकारी संस्थापन के जवाब नोटिस क्रमांक प.5(16)1/विविध/सू.का.अ./स्था./2020/1972 दिनांक 7.4.2021 से अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 3 व 4 की सूचना संस्थापन अनुभाग से होने के कारण उक्त बिन्दु की सूचना हेतु 64/–रू जमा करवाने हेतु नियत समयावधि में जरिये पत्रांक 856 दिनांक 22.2.2021 से अपीलान्ट को लिखा जाकर सूचना तैयार करने हेतु कोपिस्ट कार्यालय हाजा को भिजवायी जा चुकी थी किन्तु अपीलान्ट द्वारा वांछित शुल्क जमा नही करवाने के कारण अपीलान्ट को कोपिस्ट की ओर से सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। बिन्दु संख्या 1 की सूचना उपजिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक निर्वाचन/सूकाअ/2020/920 दिनांक 17.6.2021 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 2 की सूचना के संबंध में प्र.अ.भू.अभिलेख अनुभाग के पत्रांक 3134–35 दिनांक 16.6.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 27.1.2021 में चाही गयी सूचना मे सें बिन्दु संख्या 5,6, 7(II) की सूचना तहसीलदार खण्डार द्वारा उपलब्ध करवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 7(I) से संबंधित रिकार्ड तहसील कार्यालय मे संघारित नही होने के कारण दिया जाना अपेक्षित नही है। बिन्दु संख्या 1 की सूचना उपजिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 2 की सूचना में दिनांक 19.1.2021 की प्रति चाही गयी है किन्तु उक्त पत्र भू.अभिलेख अनुभाग मे आना नही पाया जाने के कारण उक्त बिन्दु की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही होने के कारण जरिये पत्रांक 3134–35 दिनांक 16.6.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या 3 व 4 की सूचना के लिए अपीलान्ट द्वारा शुल्क राशि 64/–रू जमा नही करवाया है। अतः अपीलान्ट उक्त बिन्दु की सूचना शुल्क राशि 64/–रू जमा करवाकर प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:36:09 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर